

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. †1537
TO BE ANSWERED ON 07.12.2021**

OBC RESERVATION

†1537. SHRI GANESH SINGH:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is correct that in the direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' post of the Government of India, on which local or regional candidates are generally interested for appointment, the 27 per cent reservation prescribed for Other Backward Classes has been amended;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' post of Government of India is done on local or regional basis instead of all India level and there is a provision to invite applications from local candidates only, if so, the details thereof; and

(d) the time when the amendment was made in the 27 per cent reservation prescribed for OBCs for direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' posts of the Government of India and State-wise reduction made in the percentage of OBC reservation from 1993 to 2021?

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)**

(a) to (d): As per information given by the Department of Personnel and Training, the quantum of reservation for OBCs in respective States/UTs, in case of direct recruitment to Group 'C' and 'D' posts, normally attracting candidates from a locality or a region, was initially fixed in 1993, vide O.M. No. 36012/22/1993-Estt(SCT) dated 29.12.1993, subject to a ceiling of 27%, while also ensuring that the total reservation for SCs, STs and OBCs did not exceed the limit of 50% in any case.

This quantum of reservation for SCs, STs and OBCs was revised via OM No. 36017/1/2014-Estt.(Res.), dated 5.7.2005, keeping in view the figures of the 2001 Census. Copies of the aforesaid O.M.s, dated 29.12.1993 and 5.7.2005, are at **Annexure-I** and **Annexure-II** respectively.

संख्या=36012/22/93-स्था0{अनु0जा0}

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
{कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग}

....

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.93

कार्यालय स्थापन

विषय: भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान आरक्षण रोलर को इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के समसंख्यक कार्यालय स्थापन के पैरा 2 द्वारा संशोधित करके 200 प्वाइंट रोलर कर दिया गया था ।

2. खुली प्रतियोगी परीक्षा के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए 16½ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान 40 प्वाइंट रोलर को 120 प्वाइंट रोलर में संशोधित कर दिया गया है । इसका माडल फॉर्मट अनुबन्ध-1 पर दिया गया है । समूह "ग" तथा "घ" पदों की सीधी भर्ती के संबंध में जहां सामान्यतः स्थानीय तथा क्षेत्रीय उम्मीदवार लिये जाते हैं, 100 प्वाइंट के विद्यमान रोलर को भी अनुबन्ध-11 पर यथानिर्दिष्ट माडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

3. संशोधित रोलर तत्काल रूप से प्रभावी होगा । दिनांक 8.9.93 को तथा उसके पश्चात् भरी हुई रिक्तियों में दिखाई जानी चाहिये । पुराने रोलर इस तारीख के समाप्त हुए समझे जाएंगे तथा पिछले रोलरों में जित्त आरक्षण को आगे ले जाया जाना था उसे नये रोलर में आगे ले जाया जायेगा ।

EOX-

{एम0 वेंकटरमन}

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग {बैंकिंग प्रभाग}, नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग {बांसा प्रभाग}, नई दिल्ली ।

खुली प्रतियोगी परीक्षा को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों का मॉडल रोस्टर ।

1.	अनुसूचित जाति	37.	अनुसूचित जाति
2.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
3.	अनुसूचित जनजाति	39.	अन्य पिछड़े वर्ग
4.	अनारक्षित	40.	अनारक्षित
5.	अन्य पिछड़े वर्ग	41.	अनुसूचित जाति
6.	अनारक्षित	42.	अनारक्षित
7.	अनुसूचित जाति	43.	अनुसूचित जनजाति
8.	अनारक्षित	44.	अनारक्षित
9.	अन्य पिछड़े वर्ग	45.	अन्य पिछड़े वर्ग
10.	अनारक्षित	46.	अनारक्षित
11.	अन्य पिछड़े वर्ग	47.	अनुसूचित जाति
12.	अनारक्षित	48.	अनारक्षित
13.	अनुसूचित जाति	49.	अन्य पिछड़े वर्ग
14.	अनारक्षित	50.	अनारक्षित
15.	अन्य पिछड़े वर्ग	51.	अन्य पिछड़े वर्ग
16.	अनारक्षित	52.	अनारक्षित
17.	अनुसूचित जनजाति	53.	अनुसूचित जाति
18.	अनारक्षित	54.	अनारक्षित
19.	अनुसूचित जाति	55.	अन्य पिछड़े वर्ग
20.	अनारक्षित	56.	अनारक्षित
21.	अन्य पिछड़े वर्ग	57.	अनुसूचित जनजाति
22.	अनारक्षित	58.	अनारक्षित
23.	अन्य पिछड़े वर्ग	59.	अनुसूचित जाति
24.	अनारक्षित	60.	अनारक्षित
25.	अनुसूचित जाति	61.	अन्य पिछड़े वर्ग
26.	अनारक्षित	62.	अनारक्षित
27.	अन्य पिछड़े वर्ग	63.	अन्य पिछड़े वर्ग
28.	अनारक्षित	64.	अनारक्षित
29.	अनुसूचित जनजाति	65.	अनुसूचित जाति
30.	अनारक्षित	66.	अनारक्षित
31.	अनुसूचित जाति	67.	अन्य पिछड़े वर्ग
32.	अनारक्षित	68.	अनारक्षित
33.	अन्य पिछड़े वर्ग	69.	अनुसूचित जनजाति
34.	अनारक्षित	70.	अनारक्षित
35.	अन्य पिछड़े वर्ग	71.	अनुसूचित जाति
36.	अनारक्षित	72.	अनारक्षित

- | | | | |
|------|------------------|------|------------------|
| 73. | अन्य पिछड़े वर्ग | 113. | अन्य पिछड़े-वर्ग |
| 74. | अनारक्षित | 114. | अनारक्षित |
| 75. | अन्य पिछड़े वर्ग | 115. | अन्य पिछड़े वर्ग |
| 76. | अनारक्षित | 116. | अनारक्षित |
| 77. | अनुसूचित जाति | 117. | अन्य पिछड़े वर्ग |
| 78. | अनारक्षित | 118. | अनारक्षित |
| 79. | अन्य पिछड़े वर्ग | 119. | अन्य पिछड़े वर्ग |
| 80. | अनारक्षित | 120. | अनारक्षित |
| 81. | अनुसूचित जाति | | |
| 82. | अनारक्षित | | |
| 83. | अनुसूचित जनजाति | | |
| 84. | अनारक्षित | | |
| 85. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 86. | अनारक्षित | | |
| 87. | अनुसूचित जाति | | |
| 88. | अनारक्षित | | |
| 89. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 90. | अनारक्षित | | |
| 91. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 92. | अनारक्षित | | |
| 93. | अनुसूचित जाति | | |
| 94. | अनारक्षित | | |
| 95. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 96. | अनारक्षित | | |
| 97. | अनुसूचित जनजाति | | |
| 98. | अनारक्षित | | |
| 99. | अनुसूचित जाति | | |
| 100. | अनारक्षित | | |
| 101. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 102. | अनारक्षित | | |
| 103. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 104. | अनारक्षित | | |
| 105. | अनुसूचित जाति | | |
| 106. | अनारक्षित | | |
| 107. | अन्य पिछड़े वर्ग | | |
| 108. | अनारक्षित | | |
| 109. | अनुसूचित जनजाति | | |
| 110. | अनारक्षित | | |
| 111. | अनुसूचित जाति | | |
| 112. | अनारक्षित | | |

100 प्वाइंट रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्वाइंट को दशानि वाला मॉडल रोस्टर जहां भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है।

क्र०सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

अ०ज०/अ०ज०ज०/अ०पि० वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

अ०ज०/अ०ज०ज०/अ०पि० वर्गों के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर में आरक्षित किए जाने वाले वास्तविक प्वाइंट

1.	2.	3.	4.
1.	अन्य उद्देश्य 15 अ०ज०/6/अ०ज०ज०/27 अ०पि० वर्ग	अ०ज० 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 63, 69, 77, 83, 89. (15) वाइटे अ०ज०ज० 3, 23, 39, 59, 79, 95 (6) वाइटे अ०पि० वर्ग 5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33, 35, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 93. (27) वाइटे	
2.	असम 6 अ०ज०/11/अ०ज०ज०/27/अ०पि० वर्ग	अ०ज० 3, 19, 33, 53, 73, 89 (6) वाइटे अ०ज०ज० 1, 9, 21, 29, 39, 49, 57, 67, 75, 85, 93. (11) वाइटे अ०पि० वर्ग 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 51, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 95. (27) वाइटे	
3.	बिहार 15 अ०ज०/9/अ०ज०ज०/21/अ०पि० वर्ग	अ०ज० 1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 43, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) वाइटे अ०ज०ज० 5, 25, 37, 47, 59, 67, 79, 93. (9) वाइटे अ०पि० वर्ग 5, 9, 11, 17, 21, 23, 29, 31, 35, 41, 45, 49, 53, 55, 61, 65, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 97, 99. (27) वाइटे	
4.	गुजरात 7 अ०ज०/14 अ०ज०ज०/27/अ०पि० वर्ग	अ०ज० 3, 17, 31, 45, 59, 73, 87. (7) वाइटे अ०ज०ज० 7, 15, 23, 31, 39, 43, 49, 57, (63, 71, 77, 85, 91. (24) वाइटे अ०पि० वर्ग 5, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 89, 93, 95. (27) वाइटे	
5.	हरियाणा 19 अ०ज०/25 अ०ज०ज०/27 अ०पि० वर्ग	अ०ज० 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) वाइटे अ०ज०ज० 3, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93. (27) वाइटे	

1.	2.	3.	4.
6.	द्विभाज्यत उद्वेस 25 अंजां / 5 अंजांजां / 20 अं पिं वरी	अंजां 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97. (25) लाइए	
		अंजांजां 3, 23, 43, 63, 83 (5) लाइए	
		अं पिं वरी 7, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 39, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 75, 79, 87, 91, 95, 99. (20) लाइए	
7.	अध्वा तथा क्वमीर 9 अंजां / 13 अंजांजां / 27 अं पिं वरी	अंजां 3, 15, 27, 37, 47, 59, 69, 83, 93. (9) लाइए	
		अंजांजां 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97. (13) लाइए	
		अं पिं वरी 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 43, 45, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 71, 75, 79, 85, 87, 91, 95, 99. (27) लाइए	
8.	कवरी क 15 अंजांजां / 5 अंजांजां / 27 अं पिं वरी	अंजां 1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) लाइए	
		अंजांजां 3, 29, 53, 79, 93. (5) लाइए	
		अं पिं वरी 5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 99. (27) लाइए	
9.	कवरी क 10 अंजांजां / 1 अंजांजांजां / 27 अं पिं वरी	अंजां 1, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. (10) लाइए	
		अंजांजां (1) लाइए	
		अं पिं वरी 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 55, 57, 61, 65, 71, 73, 77, 81, 85, 91, 95, 99. (27) लाइए	
10.	द्विभाज्यत उद्वेस 14 अंजांजां / 23 अंजांजांजां / 13 अं पिं वरी	अंजां 3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87. (14) लाइए	
		अंजांजां 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89. (23) लाइए	
		अं पिं वरी 7, 15, 27, 39, 57, 55, 67, 71, 73, 77, 97, 99. (13) लाइए	
11.	द्विभाज्यत उद्वेस 7 अंजांजां / 9 अंजांजांजां / 27 अं पिं वरी	अंजां 3, 17, 31, 45, 59, 73, 87. (3) लाइए	
		अंजांजां 1, 11, 23, 33, 43, 55, 67, 79, 91 (9) लाइए	
		अं पिं वरी 5, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 69, 71, 75, 81, 83, 89, 95, 95, 99. (27) लाइए	

1.	2.	3.	4.
12.	मिथिलापुर 1 अंजाण/27 अंजाण/ 22 अं पिं वरी	अंजाण 3 (1) लाइटे अंजाण 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) लाइटे अंजाण 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (22) लाइटे	
13.	मेवालय 1 अंजाण/44 अंजाण/ 5 अं पिं वरी	अंजाण 3 (1) लाइटे अंजाण 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97. (44) लाइटे अंजाण 7, 25, 43, 57, 99. (5) लाइटे अंजाण शुभ्य	
14.	मिथिलेश शुभ्य अंजाण/45 अंजाण/ 5 अं पिं वरी	अंजाण 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 99. (45) Points. अंजाण 5, 53, 57, 91, 97. (5) लाइटे	
15.	दुईसा 15 अंजाण/23 अंजाण/ 12 अं पिं वरी	अंजाण 3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95. (15) लाइटे अंजाण 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89. (23) लाइटे अंजाण 7, 15, 27, 39, 47, 55, 67, 79, 91, 93, 97, 99. (12) लाइटे	
16.	उंजाण 27 अंजाण/शुभ्य अंजाण/ 23 अं पिं वरी	अंजाण 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) लाइटे अंजाण शुभ्य अंजाण 3, 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (23) लाइटे	
17.	राजस्थान 17 अंजाण/27 अंजाण/ 21 अं पिं वरी	अंजाण 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97. (17) लाइटे अंजाण 3, 11, 21, 27, 35, 45, 51, 59, 69, 75, 83, 93. (12) लाइटे अंजाण 5, 9, 15, 17, 23, 29, 33, 39, 41, 47, 53, 57, 63, 65, 71, 77, 81, 87, 89, 95, 99. (21) लाइटे	

1. 2. 3. 4.

18. सिकिकुम
6 अंजां/23 अंजांजां/
21 अंजां वरि

अंजां 3, 23, 41, 59, 77, 93 (6) लाइल

अंजांजां 1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95. (23) लाइल

अंजांजां 7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 73, 81, 85, 89, 97, 99. (21) लाइल

19. सिकिकुम
19 अंजांजां/1 अंजांजां जां/
27 अंजांजां वरि

अंजांजां 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) लाइल

अंजांजां 3 (1) लाइल

अंजांजां 7, 9, 13, 17, 23, 27, 29, 33, 37, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 99.

(27) लाइल

20. सिकिकुम
15 अंजांजां/29 अंजांजांजां/
8 अंजांजां वरि

अंजांजां 3, 11, 17, 23, 31, 37, 45, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95. (15) लाइल

अंजांजां 1, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 91, 93. (29) लाइल

अंजांजां 7, 25, 43, 57, 97, 99.

(6) लाइल

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

21. अंतर ५६२५
 २१ अंजां / १ अंजांजां /
 २१ अंजां पिं वर्ग

अंजांजां १, ५, ११, १५, २१, २५, ३१, ३५, ४१, ४५, ५१, ५५, ६१, ६५, ७१, ७५, ८१, ८५, ८९, ९५, ९९

(२१) लाइल

अंजांजां ३ (१) लाइल

अंजांजां

७, ९, १३, १७, १९, २३, २७, ३३, ३७, ३९, ४३, ४७, ४९, ५३, ५७, ५९, ६३, ६७, ६९, ७३, ७७, ७९, ८३, ८७, ९१, ९३, ९७.

(२७) लाइल

22. अंतर ६३५५
 २२ अंजां / ६ अंजांजां /
 २२ अंजां पिं वर्ग

अंजांजां १, ५, ९, १३, १७, २१, २७, ३१, ३५, ३९, ४५, ४९, ५३, ५७, ६१, ६५, ६९, ७५, ७९, ८३, ८७, ९१.

(२२) लाइल

अंजांजां ३, २३, ४३, ६३, ८५, ९७. (६)
 अंजांजां ७, ११, १५, १९, २५, २९, ३३, ३७, ४१, ४७, ५१, ५५, ५९, ६७, ७१, ७३, ७७, ८१, ८५, ८९, ९३, ९५.

(२२) लाइल

सेवा शासित क्षेत्र
 मंडल निकाय

अंजांजां २१-५

अंजांजां १, ९, १७, २५, ३३, ४३, ५१, ५९, ६७, ७५, ८३, ९३.

(१२) लाइल

अंजांजां ३, ७, ११, १५, १९, २१, २७, २९, ३१, ३५, ३९, ४५, ४७, ५३, ५५, ६१, ६५, ६९, ७१, ७७, ७९, ८१, ८५, ८९, ९५, ९७, ९९.

(२७)

1.	2.	3.	4.
2.	योजना 14 अंजां / 21 अंजां - अंजांजां / 27 अंजां वर्ग	अंजांजां 1, 7, 15, 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71 77, 85, 91. (14) अंजांजां 21-म अंजांजां 3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 37 41, 45, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 81 87, 89, 93, 95, 99. (27)	वर्ग
3.	दादरा और नगर हवेली 2 अंजां / 43 अंजांजां / 5 अंजां वर्ग	अंजांजां 3, 53 (2) अंजांजां 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97. (43) वर्ग अंजांजां 5, 49, 55, 95, 99. (5) वर्ग अंजांजां 1, 49 (2) वर्ग अंजांजां 3 (1) वर्ग अंजांजां 5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43, 47, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 95, 99. (27) Points.	वर्ग
4.	दमन व दीव 2 अंजां / 1 अंजांजां / 27 अंजां वर्ग	अंजांजां 1, 7, 11, 19, 25, 31, 37, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93. (16) अंजांजां 21-म अंजांजां 3, 5, 13, 15, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 65, 67, 73, 77, 79, 85, 89, 91, 95, 99. (27) वर्ग	वर्ग
5.	पांडिचेरी 16 अंजां / 2 अंजांजां - अंजांजां / 27 अंजां वर्ग		

टिप्पणी :-

1. अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा लक्षद्वीप के संबंध में वर्तमान आरक्षण रोस्टरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
2. गोवा के लिए आरक्षण रोस्टर वही होगा जो दमन तथा दीव के तंत्र शासित प्रदेश के लिए है ।
3. दिल्ली के मामले में अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर का पालन किया जाएगा ।

अंजांजां

- अनुसूचित जाति

अंजांजां

- अनुसूचित जनजाति

अंजांजां

- अन्य पिछड़े वर्ग

संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

5 JUL 2005

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2005

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रुचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रुचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, सामान्यतः संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नियत किया जाता है। 1981 की जनगणना के आधार पर यह आरक्षण पिछली बार 1985 में नियत किया गया था। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, 27 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन 1993 में नियत किया गया था, जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि किसी भी हालत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो। अब समूह 'ग' और 'घ' पदों जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रुचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा को 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए अनुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे। तथापि, ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व विद्यमान आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार, पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेज दिया गया है अथवा पदों के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

2/-

3. यह अनुरोध है कि इस कार्यालय इलाक़ की विपक्ष-वस्तु को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दिया जाए ।




(के. जी. वर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092797

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली, लोक उद्यम चयन बोर्ड, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
16. स्थापना (आरक्षण) अनुभाग के लिए 300 अतिरिक्त प्रतियाँ ।



दिनांक 07.07.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण) का अनुबंध

2005

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरक्षण की प्रतिशतता		
		अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	0
3.	असम	7	12	27
4.	बिहार	16	1	27
5.	छत्तीसगढ़	12	32	6
6.	गोवा	2	0	18
7.	गुजरात	7	15	27
8.	हरियाणा	19	0	27
9.	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
10.	जम्मू और कश्मीर	8	11	27
11.	झारखंड	12	26	12
12.	कर्नाटक	16	7	27
13.	केरल	10	1	27
14.	मध्य प्रदेश	15	20	15
15.	महाराष्ट्र	10	9	27
16.	मणिपुर	3	34	13
17.	मेघालय	1	44	5
18.	मिजोरम	0	45	5
19.	नागालैंड	0	45	0
20.	उड़ीसा	16	22	12
21.	पंजाब	29	0	21
22.	राजस्थान	17	13	20
23.	सिक्किम	5	21	24
24.	तमिलनाडु	19	1	27
25.	त्रिपुरा	17	31	2
26.	उत्तरांचल	18	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28.	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8	27
30.	चण्डीगढ़	18	0	27
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	43	5
32.	दमन एवं दीव	3	9	27
33.	दिल्ली	15	7.5	27
34.	लक्षद्वीप	0	45	0
35.	पांडिचेरी	16	0	27